न्यायालय सहायक कलक्टर,(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
वाद पत्र संख्या— **93/2011**
जी.सी.एम.एस नं.—**2017/00082**

1. श्रीमती सविता देवी पत्नी धर्मपाल जाति यादव निवासी मोहनपुरा उर्फ खरकड़ा तहसील पाटन जिला सीकर।

—वादिया—

बनाम

1. सागरमल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर, निवासी मोहनपुरा उर्फ खरकड़ा तहसील पाटन जिला सीकर।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा—पाटन, तहसील पाटन।
3. तहसीलदार, नीमकाथाना।
4. राज्य सरकार जरिए जिला कलक्टर सीकर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः— श्री देशबन्धु शर्मा एडवोकेट —वादिया
श्री मधुसूदन अग्रवाल एडवोकेट—प्रतिवादी संख्या —1

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांकः— 30/5/25

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 259 रकबा 0.34 हैक्ट. राजस्व ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरकड़ा तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र जोधा के नाम राजस्व अभिलेख में 1/24 हिस्सा दर्ज थी। भूमि खसरा नं. 252, 253, 545, 549 से 551, 553, 554, 556, 557, 564, 565, 566, 574, 575 कुल किता 14 कुल रकबा 6.47 हैक्ट. तथा भूमि खसरा नं. 234, 257, 321, 335, 336, 378, 562 कुल किता 7 कुल रकबा 3.02 हैक्ट. में पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र जोधा के नाम राजस्व अभिलेख में 1/12 हिस्सा दर्ज थी। खातेदार प्रहलाद पुत्र जोधा द्वारा दिनांक 7.9.2006 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 259 रकबा 0.34 हैक्ट. में दर्ज हिस्सा 1/24 सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 252 रकबा 0.08 हैक्ट. 253 रकबा 0.10 हैक्ट. में हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 257 रकबा 0.49 हैक्ट. खसरा नं. 321 रकबा 0.54 हैक्ट. खसरा नं. 335 रकबा 0.38 हैक्ट. एवं खसरा नं. 336 रकबा 0.35 हैक्ट. कुल किता 4 कुल रकबा 1.76 हैक्ट. में हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण का वादिया श्रीमती सविता देवी पत्नी धर्मपाल जाति यादव निवासी मोहनपुरा उर्फ खरकड़ा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:26:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
(सीकर)

नीमकाथाना जिला सीकर को विक्रय कर कब्जा वादिया को सम्भला दिया गया था। वादिया तब से बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के काबिज रहकर कृषि पैदावार प्राप्त करती आ रही है। वादिया द्वार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 7.9.2006 की पालना हेतु मूल विक्रय पत्र तत्कालीन पटवारी हल्का को उपलब्ध करा दी गयी थी। मूल दस्तावेज सम्भलाने के पश्चात् खातेदारी दर्ज होने बाबत वादिया को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था। इस वजह से भविष्य में क्रय के पश्चात् उक्त भूमियों के राजस्व अभिलेख की प्रतियॉ प्राप्त करने की वादिया को कोई आवश्यकता नहीं रही। लेकिन तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। खातेदार प्रहलाद द्वारा भूमि का विक्रय करने के पश्चात् देहान्त हो गया। विरासत का नामान्तकरण संख्या 500 ग्राम पंचायत बल्लुपुरा द्वारा तस्दीक करा लिया गया। हक तर्कनामा का नामान्तकरण संख्या 539 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक में तस्दीक कराया जाकर खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही की गई । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कार्यवही बाला बाला करके राज.ग्रामीण बैंक शाखा पाटन से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही गम्भीर आपराधिक प्रकृति का कृत्य है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि विक्रय की कार्यवाही तथा वादिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना चालू कर दिया तथा अपने नाम खातेदारी होने की जानकारी वादिया को दी गई।

वादिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.9.2006 की पालना हेतु खातेदारी दर्ज करवाने हेतु दिनांक 20.3.2011 को प्रतिवादी नं. 1 को कहा गया तो वह साफ इन्कार हो गया। इसलिये वाद घोषणा की सहायतार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नं. 1 व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ एकराय होकर वादिया की क्रयशुदा व कब्जे शुदा भूमियों से जबरन बेदखल कर दिये जाने से वादिया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः दावा वादिया विक्रय पत्र दिनांक 7.9.2006 की पालना में डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। उक्त तथ्यों के साथ दावा वादिया प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई सम्मन विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बाद तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 को वास्ते जवाब प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर दिये गये। अन्त में दिनांक 13.7.2015 को प्रतिवादी संख्या की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। शहादत वादिया में शपथ पत्र वादिया, शपथ पत्र जगराम पुत्र रामधन, सरदारसिंह पुत्र मोहररूराम के प्रस्तुत किये गये। वादिया द्वारा [illegible] दस्तावेजात पर प्रदर्ष संख्या 1 ता 25 प्रस्तुत किये गये है। वादिया द्वारा [illegible] बाबत पुराने खसरा नम्बरान से जो नये खसरा नम्बर बने हैं उसके आधार डिक्री किये जाने का अनुरोध का पेश किया गया । बहस विज्ञ अधिवक्ता वादिया सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया द्वारा वाद पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादिया द्वारा खातेदार प्रहलाद से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त कर काश्त करती आ रही है। राजस्व कार्मिकों की लापरवाही के कारण विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। खातेदार प्रहलाद के फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:26:32 IST
Reason: SelfAttested

होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने जान बूझ कर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है। कब्जा काश्त वादिया का ही चला आ रहा है। विक्रय पत्र में दर्ज खसरा नम्बरान का नये नम्बरान से मिलान करते हुए वादिया के पक्ष मे खातेदारी की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादिया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें । गलत खातेदारी के आधार पर भूमि को रहन बैय मुन्तकिल ना करें।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रदर्ष–1 एवं प्रदर्ष–2 जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 के अवलोकन से प्रहलाद पि. जोधा के नाम से हिस्से अनुसार खातेदारी होना पाई जाती है। प्रदर्ष– 3 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि से जाहिर होता है कि प्रहलाद पुत्र जोधा कोम अहीर द्वारा विवादित भूमि का विक्रय श्रीमती सवीता देवी पत्नी धर्मपाल यादव निवासी मोहनपुरा उर्फ खरकड़ा के पक्ष में दिनांक 07.09.2006 को तहरीर व तस्दीक कराया गया है। पर्दष–4 व 7 मिलान क्षेत्रफल पुराने से नये नम्बरों के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। नवीन जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 तक प्रदर्ष– 8 से 22 तथा नामान्तकरण नकल प्रदर्ष– 23 से 25 प्रस्तुत किये गये है। वादिया द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2006 के कब्जा काश्त प्राप्त किया गया है। विक्रय पत्र वैधानिक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वर्तमान खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर बिना किसी वाद विरोध के वाद पत्र से अनुपस्थित रहा है। इससे जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 दावा वादिया के पक्ष में मौन स्वीकृति प्रदान कर चुका है अर्थात् किसी प्रकार का विरोध करना नहीं चाहता है। वादिया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपना वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहती है जो न्यायहित में है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादिया डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतःवादिया को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2006 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विक्रय पत्र डिक्री का भाग रहेगा। विक्रय पत्र में दर्ज पुराने खसरा नम्बरान का नवीन खसरा नम्बरान के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे ना ही भूमि का विक्रय करे। डिक्री मूताबिक हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:26:32 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)